न्यायालयः—राहुल दीवान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी, जिला—सिवनी (म.प्र.)

DISTRICT AND SESSIONS COURT SEONI MP

CNR	:	MP22010007272025			
Efiling No	:	2134902825001401			
Filing No.	:	RCT/541/2025	Date of Filing	:	04-02-2025
Prosecution	:	State Government		:	12:37:05
Petitioners Advocate	:		Accused	:	AMIT RAHANGDALE
Police Station	:	LAKHANWARA	FIR No./Year	:	14/2025
Amount	:	0.00			

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र – लखनवाड़ा
जिला—सिवनी (म.प्र.) .... **अभियोगी**

— विरुद्ध —

01. लक्ष्मी रमन साहू पिता नेमीचंद साहू उम्र 26 वर्ष
02. नेमीचंद साहू पिता चूड़ामन साहू उम्र 62 वर्ष
03. सावित्री साहू पति नेमीचंद साहू उम्र 60 वर्ष
04. पिंकी साहू पति राजू साहू उम्र 28 वर्ष

सभी निवासी ग्राम केवलारी चौकी हिवरखेड़ी
थाना चौरई जिला—सिवनी (म.प्र.) .... **अभियुक्तगण**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला- सिवनी (म.प्र.)

पुलिस थाना लखनवाड़ा, जिला सिवनी (म.प्र.) के अपराध क्रमांक 14/2025, अपराध अंतर्गत धारा 85, 296 व 351(2) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 से उद्भूत प्रकरण।

<u>प्रारूप—ड</u>

अपराध की तारीख	10.07.2024 से 08.01.2025 के मध्य

27.07.2026

(राहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	09.01.2025
अभियोग पत्र की तारीख	04.02.2025
आरोप के विरचना की तारीख	18.03.2025
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	14.08.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	27.07.2026
निर्णय की तारीख	27.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	—

अभियुक्तगण का विवरण

स.क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	लक्ष्मी रमन साहू	धारा 35(3) भा.ना.सु.सं., 2023 का नोटिस देकर छोड़ा गया	04.02.2025	धारा 85, 296 व 351(2) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक
02.	नेमीचंद साहू	धारा 35(3) भा.ना.सु.सं., 2023 का नोटिस देकर छोड़ा गया	04.02.2025	धारा 85, 296 व 351(2) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला- सिवनी (म.प्र.)

27.07.26
(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

				अधिनियम			
03.	सावित्री साहू	धारा 35(3) भा.ना.सु.सं., 2023 का नोटिस देकर छोड़ा गया	04.02.2025	धारा 85, 296 व 351(2) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक
04.	पिंकी साहू	धारा 35(3) भा.ना.सु.सं., 2023 का नोटिस देकर छोड़ा गया	04.02.2025	धारा 85, 296 व 351(2) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 27.07.2026 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त लक्ष्मी रमन साहू, नेमीचंद साहू, सावित्री साहू एवं पिंकी साहू के विरुद्ध धारा 85, 296 व 351(2) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 10.07.2024 से 08.01.2025 के मध्य ग्राम केवलारी प्रार्थिया का ससुराल, अंतर्गत थाना लखनवाड़ा जिला सिवनी में फरियादी अर्चना उर्फ स्मिता साहू जो अभियुक्त लक्ष्मी रमन उर्फ भूरा साहू की विवाहिता पत्नी है एवं शेष अभियुक्तगण की रिश्तेदार है, से अवैध रूप से दहेज में दो लाख रुपयों की मांग करते हुए दहेज की पूर्ति न होने पर उसके साथ मारपीट करते हुए शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करके क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया, फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर सुनाकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी

(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा फरियादी से दहेज लेने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्षतः दो लाख रुपए दहेज की मांग की।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अर्चना उर्फ स्मिता साहू ने थाना लखनवाड़ा में उपस्थित होकर दिनांक 09.01.2025 को इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम कमकासुर में रह रही है। वह कक्षा नौंवी तक पढ़ी है। वह घरेलू काम करती है। वे तीन बहन एवं एक भाई हैं जिनमें वह सबसे बड़ी है। उसकी शादी दिनांक 26.05.2022 को ग्राम केवलारी थाना चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के लक्ष्मी रमन के साथ सामाजिक रीति–रिवाज से हुई थी। शादी के समय उसके माता–पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार सोने–चांदी के जेवर व घ ार–गृहस्थी का सामान दिए थे। उसके ससुराल वालों ने उसे शादी के करीब दो महीने तक अच्छे से रखा उसके बाद आए दिन घरेलू छोटी–छोटी बातों को लेकर उसे ताना मारकर प्रताड़ित करने लगे। उसके पति, सास–ससुर उसे कहने लगे कि उसके घर वालों ने दहेज में बेकार सामान दे दिए हैं और वह अपने घर वालों से दो लाख रुपए लेकर आए नहीं तो वे उसे नहीं रखेंगे। उसे उन्हें दो लाख रुपए मायके वालों से मांगकर देने से मना कर दिया तो उसके पति उसे कहने लगे कि वह उनके लायक नहीं है, वह कम पढ़ी–लिखी है तथा उन्हें उससे शादी करने की इच्छा ही नहीं थी।

3. अभियोजन का मामला आगे इस प्रकार है कि जब उसने अपने पति से कहा कि जब शादी करने की इच्छा नहीं थी तो शादी नहीं करना था तो उसके पति उसके साथ मारपीट करने लगे। उसके ससुर नेमीचंद भी छोटी–छोटी बातों को लेकर उसे मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देते थे। उसकी सास सावित्री साहू व जेठानी

27.01.26
(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

पिंकी साहू उसके पति लक्ष्मी रमन को भड़काते थे और उसे मारने–पीटने के लिए उकसाते थे। शादी के करीब दो साल बाद वह गर्भवती हुई और उसका छटवा महीना चल रहा था तब भी उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी जिसके कारण उसे ब्लडिंग होने लगी थी। जब उसने अपने माता–पिता को फोन करके सारी बात बताई तब उसके माता–पिता उसे देखने आए थे, उसके सामने भी उसके पति ने उसके माता–पिता के साथ वाद–विवाद किया था।

4. अभियोजन का मामला आगे इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2024 को उसे दर्द होने लगा था तब उसके पति व जेठानी उसे जिला अस्पताल छिन्दवाड़ा लेकर गए थे तो उसने अपने पति को बोली कि उसने एक सप्ताह पहले सोनोग्राफी और प्रायवेट अस्पताल में चैकअप करवाई थी तो डॉक्टर ने बोला था कि उसका सीजर होगा तो वे पहले प्रायवेट अस्पताल में चैकअप करवा लेते हैं। इसी बात पर से उसके पति उससे कहने लगे कि अगर उसका सीजर हुआ तो वे उसे छोड़कर चले जाएंगे। उसकी जेठानी भी उससे कहने लगी कि उनके दो बच्चे हैं, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन्हें भी सब समझता है कहकर दोनों उससे लड़ने लगे थे। उसे जिला अस्पताल छिन्दवाड़ा में भर्ती करवाकर कहने लगे कि यदि उसे लड़की होगी तो वापस घर मत आना। उसके माता–पिता के द्वारा अभियुक्तगण को बहुत समझाया गया था तब वे नहीं माने। अभियुक्तगण ने उससे कहा था कि वह दो लाख रुपए लेकर नहीं आई है और उसे लड़की हुई तो अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया।

5. फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लखनवाड़ा, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा अपराध क्रमांक

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी (म.प्र.)

27.01.26
(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

14/2025 अपराध अंतर्गत धारा 85, 296, 351(2) व 3(5), बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का दर्ज कर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका, जप्ती, धारा 35(3) भा.ना.सु.सं., 2023 का नोटिस एवं अन्य संपूर्ण अनुसंधान पश्चात धारा 85, 296, 351(2) व 3(5) बी.एन.एस., 2023 तथा धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का अभियोग पत्र दिनांक 04.02.2025 को अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया।

6. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 85, 296 व 351(2) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आरोप पढ़कर, सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध अस्वीकार कर, विचारण चाहा गया।

7. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी/फरियादी अर्चना साहू अ.सा.01 के कथनों में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य न होने के कारण उनका धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया है।

8. **<u>प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं कि :–</u>**

1– क्या, अभियुक्तगण ने दिनांक 10.07.2024 से 08.01.2025 के मध्य ग्राम केवलारी प्रार्थिया का ससुराल, अंतर्गत थाना लखनवाड़ा जिला सिवनी में फरियादी अर्चना उर्फ स्मिता साहू जो अभियुक्त लक्ष्मी रमन उर्फ भूरा साहू की विवाहिता पत्नी है एवं शेष अभियुक्तगण की रिश्तेदार है, से अवैध रूप से दहेज में दो लाख रुपयों की मांग करते हुए दहेज की पूर्ति न होने पर उसके साथ मारपीट करते हुए शारीरिक तथा

27.07.26
(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

मानसिक रूप से प्रताड़ित करके क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया?

2– क्या, अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांकों के मध्य फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर सुनाकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

3– क्या, अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांकों के मध्य फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित कर संत्रास कारित किया?

4– क्या, अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांकों के मध्य फरियादी से दहेज लेने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्षतः दो लाख रुपए दहेज की मांग की?

5– दोषसिद्धि या दण्डादेश, यदि कोई हो तो?

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

– विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 05 का निराकरण –

9. उक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक–दूसरे से अंतःमिश्रित होने, तथ्य एवं परिस्थितियों की पुनरावृत्ति के निवारण की दृष्टि से सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

10. अभियोजन साक्षी अर्चना साहू अ.सा.01 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह अभियुक्तगण को जानती है। अभियुक्त लक्ष्मी रमन साहू उसका पति है। शेष अभियुक्तगण नेमीचंद साहू ससुर, सावित्री साहू सास एवं पिंकी साहू उसकी जेठानी है। उसका विवाह अभियुक्त लक्ष्मी रमन के साथ दिनांक 26 मई 2022 में रीति–रिवाज अनुसार हुआ था। शादी के बाद वह अपने

27.02.26
(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

पति के साथ अपने ससुराल ग्राम हिवरखेड़ी (चौरई) चली गई थी। विवाह के बाद से ही उसका अभियुक्तगण के साथ घरेलू छोटी–छोटी बातों को लेकर वाद–विवाद होने लगा था जिससे वह परेशान होकर अपने मायके आ गई थी। उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लखनवाड़ा में जाकर रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्रदर्श पी 01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी 02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे शादी की फोटो, शादी का कार्ड, उसके आधार कार्ड की छायाप्रति एवं दहेज की लिस्ट की छायाप्रति जप्त की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. साक्षी/फरियादी अर्चना साहू अ.सा.01 द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन न किए जाने के कारण साक्षी को पक्ष विरोधी घ ोषित कर, अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय की अनुमति पश्चात् साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी 04 का ए से ए भाग का कथन ''शादी के बाद..................रिपोर्ट लिखवाई हूं।'' पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है।

12. साक्षी/फरियादी अर्चना साहू अ.सा.01 ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अभियुक्तगण से उसका घरेलू छोटी–छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो गया था इस कारण उसने परेशान होकर अभियुक्तगण की शिकायत थाने में कर दी थी। साक्षी ने अभियोजन कहानी का रंचमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

13. उक्त वर्णित साक्ष्यगत तथा तथ्यात्मक परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिया के प्रति क्रूरता कारित किए जाने के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है।

27.07.25
(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

न्यायदृष्टांत समर घोष विरुद्ध जया घोष 2007 (4) एस.सी. सी. 511 में प्रतिपादित विधित सिद्धांत के अनुसार वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता का निर्धारण किसी स्ट्रेट जैकेट फार्मूला के आधार पर नहीं किया जा सकता, वरन् यह अन्य तथ्य एवं परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। वर्तमान प्रकरण में कथित मानसिक क्रूरता से कारित शारीरिक या मानसिक प्रभाव के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी कोई परिस्थितियां भी प्रकट नहीं हुई हैं जिनके आधार पर यह माना जा सके कि प्रार्थिया किसी प्रकार से आत्महत्या के लिए प्रेरित होने की सीमा तक प्रताड़ित हुई थी या किसी प्रकार से उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य को मानसिक या शारीरिक रूप से गंभीर क्षति या खतरा कारित होने की संभावना रही है।

14. तर्क के लिए इस बात पर विचार किया गया कि क्या अन्य किसी साक्षी के साक्ष्य से प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन हो सकता था? तब यह अवलोकनीय है कि प्रार्थिया के पति, सास–ससुर एवं जेठानी द्वारा अवैध रूप से दहेज में दो लाख रुपए की मांग करते हुए दहेज की पूर्ति न होने पर उसके साथ मारपीट करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादी से दहेज लेने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्षतः मांग की। कथित क्रूरता के संबंध में वह स्वयं ही सारवान साक्षी हो सकती है और जब प्रार्थिया द्वारा ही अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया गया है न ही उसके द्वारा स्वयं बताया गया कि उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा क्या क्रूरता कारित की गई है तब अन्य किसी समर्थनकारी साक्ष्य के होने से भी प्रकरण की सारवान परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

27.01.26
(सहल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

15. फरियादी/साक्षी अर्चना साहू अ.सा.01 द्वारा अभियुक्तगण द्वारा उसे अश्लील शब्द उच्चारित कर सुनाकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किए जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किए गए हैं। अतः साक्ष्य के अभाव में फरियादी उक्त अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रमाणित करने में भी असफल रही है। उल्लेखनीय है कि फरियादी द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है।

16. दांडिक विधि में यह सुस्थापित है कि उपधारणात्मक प्रावधान वाले विशेष प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है और यदि किसी बिंदु पर दो दृष्टिकोण संभव हों तो अभियुक्त के पक्ष वाले दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

17. दांडिक मामले में संदेह से परे प्रमाणित करने का अभियोजन पर अपरिवर्तनीय भार होता है किंतु उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि फरियादी विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित कर पाने में असफल रही है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 10.07.2024 से 08.01.2025 के मध्य ग्राम केवलारी प्रार्थिया का ससुराल, अंतर्गत थाना लखनवाड़ा जिला सिवनी में फरियादी अर्चना उर्फ स्मिता साहू जो अभियुक्त लक्ष्मी रमन उर्फ भूरा साहू की विवाहिता पत्नी है एवं शेष अभियुक्तगण की रिश्तेदार है, से अवैध रूप से दहेज में दो लाख रुपयों की मांग करते हुए दहेज की पूर्ति न होने पर उसके साथ मारपीट करते हुए शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करके क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया, फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर सुनाकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी को जान से

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला- सिवनी (म.प्र.)

27.01.26
(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा फरियादी से दहेज लेने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्षतः दो लाख रुपए दहेज की मांग की।

18. परिणामतः तथ्य, विधि एवं साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप आरोपित अपराध के संबंध में आवश्यक तत्वों को अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित नहीं किए जाने के कारण अभियुक्त – **01. लक्ष्मी रमन साहू पिता नेमीचंद साहू उम्र 26 वर्ष, 02. नेमीचंद साहू पिता चूडामन साहू उम्र 62 वर्ष, 03. सावित्री साहू पति नेमीचंद साहू उम्र 60 वर्ष** एवं **04. पिंकी साहू पति राजू साहू उम्र 28 वर्ष सभी निवासी ग्राम केवलारी चौकी हिवरखेडी थाना चौरई जिला–सिवनी (म.प्र.)** को धारा 85, 296 व 351(2) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अपराध से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए **''दोषमुक्त''** कर इस प्रकरण में **''स्वतंत्र''** घोषित किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला- सिवनी (म.प्र.)

19. प्रकरण में निराकरण योग्य जप्तशुदा संपत्ति शादी की फोटो, शादी का कार्ड, फरियादी के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं दहेज की लिस्ट की छायाप्रति अभिलेख का भाग रहेगी। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जाए।

20. अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

21. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का प्रमाण पत्र पृथक से निर्मित कर प्रकरण में संलग्न किया जाए।

27.01.26
(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

22. निर्धारित परिशिष्ट निर्णय के साथ संलग्न है।

स्थान :— सिवनी

दिनांक :— 27.07.2026

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

27.07.26

(राहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

27.07.26

(राहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला- सिवनी (म.प्र.)

नियम एवं आदेश (दांडिक) के अनुक्रम में संलग्न निर्धारित परिशिष्ट

प्रारूप—च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी)
अ.सा.—01	अर्चना साहू	फरियादी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो

स.क्र.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी)
01	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो

स.क्र.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी)
01	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन के दस्तावेज

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी—01 / अ.सा.—01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी—02 / अ.सा.—01	मौका नक्शा

27.01.26
(सहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला- सिवनी (म.प्र.)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला- सिवनी (म.प्र.)

03.	प्रदर्श पी–03/अ.सा.–01	जप्ती पत्रक
04.	प्रदर्श पी–04/अ.सा.–01	फरियादी के पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा के दस्तावेज

स.क्र.	**प्रदर्श**	**विवरण**
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

स.क्र.	**प्रदर्श**	**विवरण**
निरंक	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं

स.क्र.	**भौतिक सामग्री**	**विवरण**
निरंक	निरंक	निरंक

27.04.26

(राहुल दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला- सिवनी (म.प्र.)